IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 5.731
Volume 7, Issue 2, July 2021

भारत में क्षेत्रीय परिषदें–(अन्तर्राज्यीय समन्वय के सूत्र)

Zonal Councils in India-(Agencies for Inter-State Co-ordination)

डॉ. राधिका देवी
असि. प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
ए. के. पी. (पी. जी.) कॉलिज, खुर्जा, जिला–बुलन्दषहर, उ. प्र.

भारतीय संविधान भारत में सहकारी संघवाद की स्थापना करता है।[1] सहकारी संघवाद में न केवल केन्द्र और घटक राज्यों में अपितु विभिन्न राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग का प्रभावी मंच अपरिहार्य है। क्षेत्रीय परिषदें अन्तर्राज्यीय सहयोग के मंच के रूप में पिछले दशक से भारतीय संघ व्यवस्था में क्रियाशील हैं।[2] सन् 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था जब पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की व्यवस्था भी राज्य पुनर्गठन कानून में कर दी गयी थी। बाद में गठित ये परिषदें काफी समय तक काम करती रहीं। श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने उन्हें निष्क्रिय बना दिया था।[3] क्षेत्रीय परिषदों के पुनः सक्रिय बनाने का निर्णय जनता सरकार ने किया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–

(Historical Background)

क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का विचार एकदम नया नहीं है। स्वाधीनता से पूर्व राजनीतिक योजना को आर्थिक मान्यता पर संगठित करने के लिए परिषदें बनाने पर जोर दिया गया था।[4] संयुक्त राज्य अमरीका में अन्तर्राज्यीय सहयोग की दिशा में प्रयत्न करने हेतु लगातार रूप से कई मामलों में ऐसी मंचों की स्थापना की गयी है। आस्ट्रेलिया के संघ में भी अन्तर्राज्यीय स्वरूप वाली समस्याओं के समाधान हेतु ऐसी ही परिषदों का निर्माण किया जाता रहा है।[5] भारत में क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण की दिशा में दिसम्बर **1955 में जवाहरलाल नेहरू** ने लोकसभा में पुरजोर समर्थन किया था।[6] **गृहमन्त्री गोविन्द बल्लभ पन्त** में प्रधानमन्त्री नेहरू के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि भारत सरकार ने क्षेत्रीय परिषदें स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले राज्यों की आर्थिक, नियोजन सम्बन्धी और पुनर्गठन सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण में सहायक होगी।[7] वस्तुतः 1956 के राज्य पुर्नगठन आयोग ने इनकी स्थापना की प्रत्यक्ष सिफारिश नहीं की थीं, हालांकि जिन सिद्धान्तों पर इन्हें बनाने का सरकार ने फैसला किया उन पर आयोग की रिपोर्ट में शुरू से ही जोर दिया गया था। आयोग ने सिर्फ भाषा को राज्य पुर्नगठन का आधार नहीं माना। उसने देश की एकता और सुरक्षा को मजबूत बनाने, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करेगें, और राष्ट्रीय योजना के सफलतापूर्वक निष्पादन की जरूरतों को भी राज्य पुर्नगठन का आधार बनाया था। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि विभिन्न राज्यों के बीचएकता के सृदृढ़ सूत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

राज्य पुर्नगठन आयोग की सिफारिशों के प्रकाशन के बाद देश में उग्र विरोध और हिंसा का जो दौर चला उसने इस सिद्धान्त को और बल दिया। यह महसूस किया गया कि भाषा यदि लोगों को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखती है तो वह विग्रह और विघटन का भी कारण बन सकती है। इन परिस्थितियों में यह निर्णय किया गया कि मोटे तौर पर भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्रचना करने के साथ–साथ उन्हें देश की एकता और प्रशासनिक कुशलता के हित में क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 5.731
Volume 7, Issue 2, July 2021

एक–दूसरे से बांधकर रखा जाएं। परिणाम स्वरूप सारे देश के लिए पांच क्षेत्रीय परिषदें बनायी गयी जिनका स्वरूप परामर्शदात्री रखा गया। 16 जनवरी, 1956 को भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को मोटे तौर पर स्वीकार करने की घोषणा करते हुए कहा, ''इलाकों के बंटवारे के सवाल को अनावश्यक महत्व नहीं दिया जाएगा.....अन्तर्राज्यीय समन्वय की दिशा में एक और कदम के रूप में सरकार का इरादा क्षेत्रीय परिषदें गठित करने का है जो विभिन्न क्षेत्रों में शामिल राज्यों के आर्थिक आयोजना समेत सब प्रकार की समान समस्याओं पर विचार करेगी।''[8]

क्षेत्रीय परिषदों के उद्देष्य–

(Objectivies of the Zonal Councils)

क्षेत्रीय परिषदों का सम्बन्ध केन्द्र, राज्य तथा अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों में तालमेल तथा सहयोग स्थापित करने की दिशा में अधिक है। इनका ध्येय पृथकतावादी उग्र प्रान्तीय भावनाओं को रोकना एवं **श्री नेहरू के शब्दों में**, ''आपसी सहयोग से कार्य करने की आदत डालना है।[9] इन्हें संघ व्यवस्था के 'उपसंघीय सूत्र'Sub-fedral link कहा जा सकता है।[10] जिनके निम्नलिखित उद्देश्य हैं–**प्रथम**, सम्पूर्ण देश का भावात्मक एकीकरण करना। **द्वितीय,** राज्यों में क्षेत्रीय व प्रान्तीय एवं पृथकतावादी मनोवृत्तियों को दबाना। **तृतीय,** राज्यों में आपसी सद्भाव का सम्वर्द्धन करते हुए उनके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करना। **चतुर्थ,** आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में केन्द्र–राज्य सहयोग बढ़ाना ताकि विचारों के आदान–प्रदान के माध्यम से समान नीतियों का निर्माण किया जा सके। **पंचम,** प्रमुख विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्यों में आपसी सहयोग बढ़ाना। **षष्ठ,** देश के विभिन्न क्षेत्रों में सन्तुलन स्थापित करना।

संक्षेप में, इन परिषदों का लक्ष्य आपसी समझौते की भावना से अनन्त–राज्य समस्याओं का समाधान, क्षेत्र का तुरन्त सन्तुलित विकास करने और केन्द्र–राज्य सम्बन्धों को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र (जोन) में एक सामूहिक बैठक आधार की व्यवस्था करना है।

क्षेत्रीय परिषदों की रचना–

(Organization of the Zonal Councils)

सन् 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार सारे देश के लिए पांच क्षेत्रीय परिषदें बनायी गयी है।[11] ये परिषदें इस प्रकार हैं–(1) **उत्तर क्षेत्रीय परिषद्–** इसमें पंजाब, राजस्थान, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा संघ शासित प्रदेश, दिल्ली और चण्डीगढ़ शामिल हैं। इस क्षेत्रीय परिषद का उद्घाटन 25 अप्रैल 1957 को किया गया था और इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में है। परिषद की स्थायी समिति की बैठक 9 अक्टूबर, 1997 को श्रीनगर में हुई। इस समिति की कार्यसूची में 44 मुद्दे थे, जिसमें से यह अपने स्तर पर 34 मुद्दों का समाधान निकालने में समर्थ रही। 20 अक्टूबर, 1997 को श्रीनगर में सम्पत्र परिषद् की बैठक में बिजली तथा जल संसाधन के बंटवारे, अन्तर्राज्यीय सुरक्षा, कराधान की समान दरें, लकड़ी के माल की तस्करी की रोकथाम जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। परिषद की 24वीं बैठक सूरजकुण्ड (हरियाणा) में 28 फरवरी 1999 को हुई थीं। (2) **दक्षिण क्षेत्रीय परिषद्–** आंध प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य तथा केन्द्रशासित क्षेत्र पाण्डिचेरी को इस परिषद् में शामिल किया गया। 11 जुलाई, 1957 को इस परिषद् का उद्घाटन किया गया एवं इसका मुख्यालय मद्रास में है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की बैठक 22 जुलाई, 1997 को हुई, जिसमें 41 मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया और अपने स्तर पर 26 मुद्दों को हल किया। (3) **केन्द्रीय परिषद–** इस परिषद् के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य हैं। मई, 1957 को इस परिषद् का उद्घाटन किया गया एवं इलाहाबाद इसका मुख्यालय है। (4) **पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्–** इस क्षेत्रीय परिषद् में बिहार, पश्चिमी बंगाल,

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 5.731
Volume 7, Issue 2, July 2021

उड़ीसा और सिक्किम राज्य हैं। इस परिषद् का उद्घाटन 30 अप्रैल 1957 को हुआ था। इस मुख्यालय कलकत्ता में है। वर्ष 2002–2003 के दौरान दिनांक 12.09.2002 को भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई जिसमें ''पर्यटन को बढ़ावा'' नशीला दवाओं के उपयोग की रोकथाम, बाढ प्रबन्धन तथा जल निकासी की समस्याओं, प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं, खनिज की रायल्टी, आदि पर विचार–विमर्श किया गया। सम्बन्धित कार्यान्वयन एजेन्सियों को उपर्युक्त मामलों के सम्बन्ध में स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों/दिए गए सुझावों पर आवश्यक अनुवर्ती कारवाई करने के लिए लिखा गया है।[12] (5) **पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्–** इस परिषद का उद्घाटन 20 सितम्बर, 1957 को हुआ था। महाराष्ट्र, गुजरात, गोआ, दमन दीव तथा नगर हवेली परिषद् के सदस्य हैं। पश्चिमी क्षेत्र परिषद् की स्थायी समिति की बैठक 26 सितम्बर, 1997 को गोवा में हुई और इसने 14 मुद्दों की संवीक्षा की। इन 14 मुद्दों में से स्थायी समिति ने अपने स्तर पर 7 मामलों को हल किया।

पूर्वोत्तर परिषद–संसद के एक अधिनियम, अर्थात, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के द्वारा बनाई गई और इसने अगस्त, 1972 में कार्य करना आरंभ कर दिया। इसके अर्न्तगत असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सम्मिलित है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पूर्वोत्तर परिषद की कल्पना एक परामर्शी निकाय के रूप में दी गई है जिसे ऐसे मामलों पर विचार विमर्श करने के अधिकार दिए गए हैं जिनमें कुछ या सभी सदस्य राज्यों के सामान्य हित हों तथा जो केन्द्रीय सरकार को और सदस्य राज्यों की सम्बन्धित सरकारों को ऐसे किसी भी मामले पर, विशेष रूप से आर्थिक और सामाजिक योजना, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए सलाह दे सकें।

पूर्वोत्तर परिषद न केवल एक परामर्शी निकाय के रूप में बल्कि निधियां देने वाली एजेंसी के रूप में भी कार्य करती हैं। पूर्वोत्तर परिषद का ओर पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर रहा है, विशेष रूप से उन परियोजनाओं पर जो परस्पर एक दूसरे राज्य से जुडी हैं और पूर्वोत्तर परिषद की निधियों का लगभग 45% परिवहन और संचार में,41%विद्युत में और 10%निवेश स्वास्थ्य और जनशक्ति विकास में किया गया है।

पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें मुख्यतः राज्य सरकार की एजेंसियों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।[13]

संगठन–क्षेत्रीय परिषदों के गठन का आधार देश की प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास की आवश्यकताएं, सांस्कृतिक एवं भाषायी सम्पर्क, नदी व्यवस्था, संचार के साधन तथा सुरक्षा की आवश्यकताएं रही हैं।

प्रत्येक केन्द्रीय परिषद् का संगठन इस प्रकार होता है–(1) राष्ट्रपति द्वार मनोनीत एक केन्द्रीय मन्त्री परिषद् के सभापति के रूप में कार्य करता हैं। वर्तमान में केन्द्रीय गृहमन्त्री सभी परिषदों के सभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं। (2) प्रत्येक राज्य के मुख्यमन्त्री एवं प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत अन्य दो मन्त्री अपनी–अपनी क्षेत्रीय परिषद् में भाग लेते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में भाग लेने वाले मुख्यमन्त्री बारी–बारी से एक वर्ष के लिए परिषद् के उपसभापति के रूप में कार्य करते हैं। (3) विशेष तौर से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् में असम के राज्यपाल के लिए कार्यरत जन जाति परामर्शदाता भी इस परिषद की बैठक में भाग लेते हैं। (4) इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि योजना आयोग द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त को भी परिषद् से सम्बद्ध किया जाता है।

परिषद् के सभापति परिषद् की बैठक आयोजित करते हैं। व्यवहार में बारी–बारी से प्रत्येक राज्य की राजधानी में परिषद् की बैठकें आयोजित की जाती हैं। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति परिषद् की अध्यक्षता करते हैं। परिषद् के समस्त निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। कभी–कभी एक से अधिक परिषदों की संयुक्त बैठक भी आयोजित की जाती है। इससे अन्तर–क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। एवं अन्तर–क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि होती है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 5.731
Volume 7, Issue 2, July 2021

प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् का एक सचिवालय होता है जिसमें एक सचिव तथा संयुक्त सचिव होते हैं। संयुक्त सचिव कोई बाहरी व्यक्ति होता हैं अर्थात् वह परिषद् में शामिल होने वाले राज्यों का कर्मचारी नहीं होता। परिषद् में शामिल होने वाले राज्यों के मुख्य सचिव बारी–बारी से परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। परिषद् से सम्बन्धित समस्त व्यय भार केन्द्रीय सरकार वहन करती है।[14]

क्षेत्रीय परिषदों के कार्य

(Functions of the Zonal Councils)

क्षेत्रीय परिषद् परामर्शदात्री निकाय हैं। ये उन मामलों तथा समस्याओं पर विचार करती हैं जो परिषद् में शामिल होने वाले सदस्य राज्यों के सामूहिक हितों से सम्बन्धित होते हैं। **संक्षेप** में परिषदें निम्नलिखित मामलों पर विचार करती हैं और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं– (1) आर्थिक और सामाजिक नियोजन से सम्बन्धित सामूहिक हित के मामले, (2) राज्यों के सीमा विवाद, भाषायी, अल्पसंख्यकों की समस्याएं तथा अन्तर्राज्यीय परिवहन की समस्याओं पर विचार करना, (3) राज्य पुर्नगठन से उत्पन्न समस्याओं का समाधान खोजना, आदि। **प्रो0 एस.आर. माहेश्वरी के शब्दों में**, ''यह एक अन्तर्राज्यीय मंच है जिसके माध्यम से आपसी हितों की समस्याओं का समाधान विचार–विमर्श द्वारा किया जाता है।''[15]

संदर्भ सूची

[1]. ए.एच.वर्च, फेडरिलज्म, फाइनेन्स एण्ड सोशल लेजिस्लेशन इन कनाडा, आस्ट्रेलिया एण्ड दि यूनाइटेड स्टेट्स, पृ. 305।
[2]. नन्दकिशोर त्रिखा, ''क्षेत्रीय परिषदों की प्रभावी भूमिका'', ''नवभारत टाइम्स'', 12 सितम्बर, 1978, पृ.4।
[3]. पी.के. शर्मा, फेडरलिज्म एण्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, डेवलण्ड एण्ड डेवलपिंग एरियाज (प्रगति पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1979), पृ. 85 ।
[4]. उदाहरणार्थ, सन् 1944 की कूपलैण्ड योजना।
[5]. एम.वी. पायली, कॉन्सीटयूशनल गवर्नमेंट इन इण्डिया (एशिया, बम्बई 1977),पृ. 713
[6]. लोक सभा डिबेट्स, 1955 राज्य पुनर्गठन, पृ. 881।
[7]. लोक सभा डिबेट्स, 1955 राज्य पुनर्गठन, पृ. 1407।
[8]. नन्दकिशोर त्रिखा, ''क्षेत्रीय परिषदों की प्रभावी भूमिका'', ''नवभारत टाइम्स'', 12 सितम्बर, 1978, पृ.4।
[9]. लोकसभा डिबेट्स, खण्ड 10, सं.25, 21 दिसम्बर, 1955 कॉलम 3514.
[10]. श्रीराम माहेश्वरी, ''गवर्नमेंट थ्रू कन्सलटेंशन'' (नई दिल्ली, 1972), पृ. 280.
[11]. वार्षिक रिपोर्ट, 1997–98, भारत सरकार–गृह मन्त्रालय, आन्तरिक सुरक्षा, राज्य तथा गृह विभाग (नई दिल्ली), पृ. 47.
[12]. वार्षिक रिपोर्ट, 2002–03, भारत सरकार–गृह मन्त्रालय, पृ. 58.
[13]. डॉ0 बी0 एल0 फड़िया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पृ0–382।
[14]. डॉ0 बी0 एल0 फड़िया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पृ0–382–383।
[15]. डॉ0 बी0 एल0 फड़िया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पृ0–383.।